न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
465/2025

दायर दिनांक
16.09.2025

निर्णय दिनांक
05-12-2025

उनवान

1. बन्ना पिता मोडा बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटडी।
2. राधेश्याम दत्तक पुत्र रामचन्द्र बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटडी
3. रामेश्वर पुत्र मोडा बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटडी
4. दुर्गेश पुत्र बन्ना बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटडी
5. रामलाल पुत्र बन्ना बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटडी

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजू पुत्र ईश्वरलाल श्रोत्रिय उम्र वयस्क निवासी सवाईपुर तह0 कोटड़ी
2. धापु पुत्री कल्याण नाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी
3. रामलाल पुत्र मांगीलाल जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी
4. लादुलाल पुत्र नन्दा जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी
5. राधेश्याम पुत्र ब्रहमा जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी
6. हीरा पुत्र ब्रहमा जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी
7. भैरू पुत्र मूला बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी
8. देबी पुत्र मांगीलाल बलाई उम्र वयस्क निवासी खजीना तह0 कोटड़ी
9. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, बड़लियास तह0 कोटडी

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मदन लाल व्यास उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 अनुपस्थित।**
3. **अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।**

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खजीना पटवार हल्का आकोला, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 116 की आराजी संख्या 1822 रकबा 0.3561 हैक्टयर, खाता संख्या 213 की खसरा संख्या 132 रकबा 0.9793 हैक्टयर, खसरा सख्या 1823/2 रकबा 0.5504 हैक्टयर, खसरा संख्या 2133/1823 रकबा 0.0081 हैक्टयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.8939 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम खजीना पटवार हल्का आकोला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 116 की आराजी संख्या 1822 रकबा 0.3561 हैक्टयर, खाता संख्या 213 की खसरा संख्या 132 रकबा 0.9793 हैक्टयर, खसरा सख्या 1823/2 रकबा 0.5504 हैक्टयर, खसरा संख्या 2133/1823 रकबा 0.0081 हैक्टयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.8939 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05-12-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा